IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"फिनलैंड में वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन 2025 : वृद्ध कल्याण और विधिक संरक्षण को सुदृढ़ करने का एक मॉडल"

— प्रो० (डॉ०) अशोक कुमार सोनकर, विधि संकाय, लखनऊ वि"वविद्यालय

— दीपक, शोधार्थी, विधि संकाय, लखनऊ वि"वविद्यालय

सारां"।

वि"व भर में वृद्ध होती जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा हेतु प्रभावी विधिक और संस्थागत तंत्रों की आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। पारंपरिक परिवार–आधारित देखभाल प्रणालियाँ धीरे–धीरे कमजोर होती जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप वृद्ध व्यक्तियों की उपेक्षा, शोषण तथा सामाजिक–आर्थिक असुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ रही है। इस संदर्भ में, विशेषीकृत संस्थाओं की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह शोध–पत्र फिनलैंड में "वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन" संस्था का अध्ययन करता है, विशेष रूप से इसके 2025 के ढाँचे के संदर्भ में, जिसे वृद्ध कल्याण और विधिक संरक्षण को सुदृढ़ करने के एक प्रगतिशील मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें ओम्बुड्समैन की भूमिका, कार्यों और शक्तियों का विश्लेषण किया गया है, विशेषकर शिकायतों के निवारण, सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी तथा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और स्वायत्तता को बढ़ावा देने के संदर्भ में। यह अध्ययन एक सामाजिक–विधिक दृष्टिकोण अपनाता है, जिसके माध्यम से यह मूल्यांकन किया गया है कि इस प्रकार की स्वतंत्र निगरानी संस्था किस प्रकार जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान देती है। इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन अन्य न्यायक्षेत्रों, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में इस फिनलैंड मॉडल की प्रासंगिकता का भी विश्लेषण करता है, जहाँ वृद्ध संरक्षण के संस्थागत तंत्र अभी सीमित हैं। यह शोध इस बात पर प्रकाश डालता है कि समान ढाँचों को अपनाकर विधिक प्रावधानों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है, जिससे वृद्ध व्यक्तियों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य शब्द :

वृद्ध कल्याण, ओम्बुड्समैन, वृद्ध व्यक्ति, विधिक संरक्षण, फिनलैंड, वृद्ध जनसंख्या, मानवाधिकार, सामाजिक–विधिक विश्लेषण

1. प्रस्तावना

वर्तमान समय में विश्व एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन का अनुभव कर रहा है, जो वृद्ध जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के रूप में परिलक्षित होता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बेहतर जीवन स्तर तथा प्रजनन दर में कमी ने विभिन्न देशों में जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया है। यद्यपि यह एक सकारात्मक विकास है, तथापि इसके साथ अनेक गंभीर सामाजिक, आर्थिक तथा विधिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। वृद्ध व्यक्तियों को प्रायः वित्तीय असुरक्षा, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ, सामाजिक अलगाव, उपेक्षा तथा शोषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएँ केवल विकासशील देशों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विकसित देशों में भी समान रूप से विद्यमान हैं। जैसे–जैसे समाज विकसित हो रहा है, पारंपरिक परिवार–आधारित सहयोग प्रणाली कमजोर होती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण और संरक्षण के लिए औपचारिक तंत्रों की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक हो गई है। इस संदर्भ में, वृद्ध अधिकारों के संस्थागत संरक्षण की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की विधिक मान्यता उनकी गरिमा, स्वायत्तता और कल्याण की रक्षा के लिए आवश्यक है। तथापि, केवल कानूनों का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है, जब तक कि उनके क्रियान्वयन की निगरानी करने तथा शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रभावी संस्थाएँ उपलब्ध न हों। वृद्ध व्यक्ति प्रायः आर्थिक, शारीरिक या भावनात्मक सीमाओं के कारण पारंपरिक न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विधिक उपचार प्राप्त करने में असमर्थ या अनिच्छुक होते हैं। अतः ऐसी विशेषीकृत संस्थाओं की आवश्यकता है जो सुलभ, स्वतंत्र तथा उत्तरदायी हों और जो विधिक अधिकारों तथा उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच की दूरी को समाप्त कर सकें। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्था ओम्बुड्समैन प्रणाली है। स्कैंडिनेवियाई देशों से उत्पन्न यह प्रणाली एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है, जिसे सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करने तथा प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। समय के साथ इस अवधारणा का विस्तार हुआ है, और अब इसमें बच्चों, उपभोक्ताओं तथा हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों जैसे विशिष्ट समूहों के लिए विशेष ओम्बुड्समैन भी शामिल किए गए हैं। ओम्बुड्समैन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ इसकी सुलभता, निष्पक्षता तथा त्वरित और अनौपचारिक तरीके से शिकायतों के निवारण की क्षमता हैं, जो इसे वृद्ध जैसे कमजोर वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती हैं। फिनलैंड अपने सुदृढ़ कल्याणकारी राज्य मॉडल तथा सामाजिक न्याय क प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध है। यह देश जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा तथा मानव विकास के मानकों में निरंतर उच्च स्थान प्राप्त करता रहा है। हाल के वर्षों में, फिनलैंड ने वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए "वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन" संस्था की स्थापना करके महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह संस्था इस बात को दर्शाती है कि फिनलैंड केवल वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सशक्त भी बनाना चाहता है। फिनलैंड का यह मॉडल वृद्ध व्यक्तियों

की गरिमा, सहभागिता तथा स्वतंत्रता पर विशेष बल देता है, जिसे एक सुदृढ़ संस्थागत ढाँचे का समर्थन प्राप्त है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य फिनलैंड में "वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन" की भूमिका का विश्लेषण करना है, विशेष रूप से इसके 2025 क ढाँचे के संदर्भ में, ताकि इसे वृद्ध कल्याण और विधिक संरक्षण को सुदृढ़ करने के एक प्रभावी मॉडल के रूप में समझा जा सके। यह शोध इस संस्था के कार्यों, शक्तियों तथा प्रभावशीलता का परीक्षण करता है और साथ ही अन्य न्यायक्षेत्रों, विशेषकर भारत जैसे देशों मं इसकी प्रासंगिकता का अध्ययन करता है, जहाँ वृद्ध संरक्षण के तंत्र अभी विकसित हो रहे हैं। इस अध्ययन का क्षेत्र सामाजिक–विधिक विश्लेषण को सम्मिलित करता है, जिसमें संस्थागत तंत्रों का मूल्यांकन करते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं तथा नीतिगत शिक्षाओं की पहचान करने का प्रयास किया गया है, ताकि वै"्वक स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों के संरक्षण और कल्याण को बेहतर बनाया जा सके।

2. ओम्बुड्समैन संस्था की अवधारणा और विकास

ओम्बुड्समैन संस्था प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों के मनमाने या अन्यायपूर्ण कार्यों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है।[1] "ओम्बुड्समैन" शब्द सामान्यतः एक स्वतंत्र लोक अधिकारी को संदर्भित करता है, जिसे नागरिकों द्वारा सरकारी विभागों, लोक अधिकारियों या एजेंसियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जाँच करने का दायित्व सौंपा जाता है।[2] इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को सरल, सुलभ और प्रभावी उपाय प्रदान करना है, जिन्हें औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से न्याय प्राप्त करना कठिन होता है। ओम्बुड्समैन राज्य और नागरिकों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है तथा पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन को सुनिश्चित करता है। ओम्बुड्समैन संस्था की उत्पत्ति स्कैंडिनेवियाई देशों में हुई, विशेष रूप से स्वीडन में।[3] आधुनिक ओम्बुड्समैन प्रणाली की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन के संविधान के अंतर्गत "संसदीय ओम्बुड्समैन " के गठन के साथ हुई। इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रशासन की निगरानी करना तथा यह सुनिश्चित करना था कि लोक अधिकारी विधि के अनुरूप कार्य करें। समय के साथ यह मॉडल शिकायतों के समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ावा देने में अपनी प्रभावशीलता के कारण व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त करने लगा। इसके पश्चात फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों ने भी इसी प्रकार की संस्थाओं को अपनाया, जिससे यह संस्था क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। समय के साथ ओम्बुड्समैन की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन और विस्तार हुआ है, विशेषकर मानवाधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में। व्यक्तिगत शिकायतों के निवारण के अतिरिक्त, ओम्बुड्समैन अब मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों के कार्यों की निगरानो करता है, कुप्रशासन के मामलों की पहचान करता है तथा सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करता है। यह संस्था शासन में अधिकार–आधारित दृष्टिकोण के विकास में भी योगदान देती है, जिसमें निष्पक्षता, समानता और भेदभाव–रहितता को बढ़ावा दिया जाता है। अनेक न्यायक्षेत्रों में ओम्बुड्समैन को व्यापक मानवाधिकार संरक्षण प्रणाली का एक आवश्यक अंग माना जाता है, जो न्यायालयों और अन्य निगरानी संस्थाओं की भूमिका को पूरक बनाता है। हाल के दशकों में ओम्बुड्समैन संस्था का दायरा सामान्य प्रशासनिक निगरानी से आगे बढ़कर विशेष क्षेत्रों तक

[1] एम.पी. जैन, भारतीय प्रशासनिक विधि, (लेक्सिसनेक्सिस, नवीनतम संस्करण), पृ. 412।
[2] डी.डो. बसु, भारतीय संविधान का परिचय, (प्रेंटिस हॉल, नवीनतम संस्करण), पृ. 298।
[3] स्वीडन का संविधान 1809।

विस्तारित हुआ है। विभिन्न समूहों की विशिष्ट कमजोरियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक देशों ने क्षेत्र–विशेष ओम्बुड्समैन नियुक्त किए हैं, जैसे–बच्चों, उपभोक्ताओं, कैदियों तथा हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों के लिए।[4] ये विशेषीकृत संस्थाएँ विशिष्ट समूहों से संबंधित समस्याओं पर केंद्रित होती हैं, जिससे लक्षित संरक्षण और अधिक प्रभावी शिकायत निवारण संभव हो पाता है। उदाहरणार्थ, बच्चों के लिए ओम्बुड्समैन बाल अधिकारों की रक्षा तथा शोषण और उपेक्षा के मामलों के समाधान की दिशा में कार्य करता है, जबकि वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन वृद्धावस्था में गरिमा, कल्याण तथा शोषण और भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित होता है।[5] इस प्रकार, ओम्बुड्समैन संस्था का विकास एक सामान्य शिकायत निवारण तंत्र से एक व्यापक और विशेषीकृत अधिकार संरक्षण प्रणाली की ओर संक्रमण को दर्शाता है। इसकी अनुकूलनशीलता और प्रभावशीलता इसे समकालीन समय में समाज के कमजोर वर्गों द्वारा सामना की जाने वाली विविध चुनौतियों के समाधान हेतु एक अत्यंत मूल्यवान संस्थागत मॉडल बनाती है।

3. फिनलैंड में वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन (2025) : एक अवलोकन

फिनलैंड में "वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन अधिनियम, 2025" 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों के मौलिक एवं मानवाधिकारों के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना, समाज में उनकी समग्र स्थिति का मूल्यांकन करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि विधायी और नीतिगत निर्णयों में उनके अधिकारों का समुचित ध्यान रखा जाए। वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन को एक स्वायत्त और स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है, जो विभिन्न सरकारी निकायों, संगठनों और हितधारकों के साथ मिलकर वृद्ध व्यक्तियों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा और संवर्धन का कार्य करता है। इस नीति का क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत है और इसका उद्देश्य समाज में वृद्ध व्यक्तियों की स्थिति, अधिकारों और समानता में सुधार करना है। ओम्बुड्समैन सक्रिय रूप से वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनके हित विधि–निर्माण तथा प्रशासनिक निर्णयों में पर्याप्त रूप से परिलक्षित हों। यह संस्था वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी और उन पर प्रभाव डालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिनियम एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें आयु, कार्यात्मक क्षमता, विकलांगता, मातृभाषा, आर्थिक स्थिति, निवास स्थान, लैंगिक अभिरुचि तथा अल्पसंख्यक स्थिति जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। अतः इस अधिनियम का मूल उद्देश्य फिनलैंड में वृद्ध व्यक्तियों के लिए न्याय, समानता और गरिमापूर्ण जीवन की प्रभावी सुरक्षा और संवर्धन सुनिश्चित करना है।[6]

यह अधिनियम कुल आठ धाराओं में विभाजित है, जिनमें प्रत्येक में विशिष्ट प्रावधान निर्धारित किए गए हैं –

[4] जी. ब्रूस डोएर्न, ओम्बुड्समैन और मानवाधिकार संरक्षण, (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2001), पृ. 89।
[5] विश्व स्वास्थ्य संगठन, एजिंग एंड हेल्थ रिपोर्ट, 2019।
[6] वृद्ध व्यक्तियों के लिए लोकपाल अधिनियम, 2025 (फिनलैंड), *उपलब्ध है:* https://ageing-policies.unece.org/browse-policy/3093 (अंतिम बार मई 01, 2025 को देखा गया)।

धारा 1 (स्थापना)

इस धारा के अंतर्गत न्याय मंत्रालय के अधीन "वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन" की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों की स्थिति में सुधार करना तथा उनके अधिकारों को बढ़ावा देना है। यह संस्था एक स्वतंत्र और स्वायत्त प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी।[7]

धारा 2 (नियुक्ति एवं योग्यता)

ओम्बुड्समैन की नियुक्ति सरकार द्वारा अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। अपने कार्यकाल के दौरान वह किसी अन्य पद को धारण नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यक योग्यताओं में उपयुक्त मास्टर डिग्री, मौलिक एवं मानवाधिकारों का गहन ज्ञान तथा संबंधित क्षेत्र में अनुभव और नेतृत्व क्षमता शामिल है।[8]

धारा 3 (कार्य)

ओम्बुड्समैन का प्रमुख कार्य वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत उनकी स्थिति की निगरानी एवं मूल्यांकन, विधानों और सामाजिक निर्णय–निर्माण प्रक्रियाओं की समीक्षा तथा उनके प्रभाव का आकलन करना शामिल है। ओम्बुड्समैन पहल कर सकता है, वक्तव्य जारी कर सकता है तथा सार्वजनिक विमर्श में भाग ले सकता है। इसके अतिरिक्त, यह संस्था अध्ययन तैयार करती है या करवाती है, रिपोर्ट प्रकाशित करती है, सूचना का प्रसार करती है, जागरूकता बढ़ाती है तथा वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है।[9]

धारा 4 (सूचना का अधिकार)

ओम्बुड्समैन को अपने कार्यों के निर्वहन हेतु अन्य प्राधिकरणों से आवश्यक जानकारी निरूशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते कि इससे गोपनीयता से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन न हो।[10]

धारा 5 (रिपोर्ट)

ओम्बुड्समैन को अपनी गतिविधियों के संबंध में प्रतिवर्ष सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, वृद्ध व्यक्तियों की स्थिति तथा उनके अधिकारों के क्रियान्वयन पर प्रत्येक चार वर्ष में संसद को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।[11]

धारा 6 (कर्मचारी)

ओम्बुड्समैन के कार्यों में सहायता हेतु पर्याप्त संख्या में रिपोर्टिंग अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, जिनके पास संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता होती है। ओम्बुड्समैन को ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति और तैनाती का अधिकार प्राप्त होता है।[12]

[7] धारा 1, वृद्ध व्यक्तियों के लिए लोकपाल अधिनियम, 2025 (फिनलैंड)
[8] धारा 2, वृद्ध व्यक्तियों के लिए लोकपाल अधिनियम, 2025 (फिनलैंड)
[9] धारा 3, वृद्ध व्यक्तियों के लिए लोकपाल अधिनियम, 2025 (फिनलैंड)
[10] धारा 4, वृद्ध व्यक्तियों के लिए लोकपाल अधिनियम, 2025 (फिनलैंड)
[11] धारा 5, वृद्ध व्यक्तियों के लिए लोकपाल अधिनियम, 2025 (फिनलैंड)
[12] धारा 6, वृद्ध व्यक्तियों के लिए लोकपाल अधिनियम, 2025 (फिनलैंड)

धारा 7 (कार्यविधि के नियम)

ओम्बुड्समैन को अपने कार्यालय के प्रभावी संचालन के लिए स्वयं की प्रक्रिया संबंधी नियम निर्धारित करने का अधिकार होता है।[13]

धारा 8 (प्रारंभ)

यह अधिनियम निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होता है, जिससे ओम्बुड्समैन संस्था का औपचारिक रूप से संचालन प्रारंभ हो जाता है।[14]

4. वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन के कर्तव्य एवं अधिकार[15]

वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन एक स्वतंत्र और स्वायत्त प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना समाज में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के उद्देश्य से की गई है। इसका प्रमुख दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि वृद्ध व्यक्तियों के मौलिक एवं मानवाधिकारों को विधियों, नीतियां और निर्णय–निर्माण प्रक्रियाओं में उचित रूप से मान्यता दी जाए और उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो। ओम्बुड्समैन मुख्यतः एक पक्षसमर्थन की भूमिका निभाता है, जिसका ध्यान व्यक्तिगत विवादों के समाधान के बजाय व्यापक व्यवस्थाओं और नीतियों को प्रभावित करने पर केंद्रित होता है। ओम्बुड्समैन के कार्यों का क्षेत्र किसी निश्चित आयु–समूह तक सीमित नहीं है। यद्यपि वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु एक सामान्य संकेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, तथापि वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार विभिन्न आयु–श्रेणियों के व्यक्तियों तक विस्तारित होते हैं। यह संस्था वृद्धावस्था की एक व्यापक और समावेशी समझ को अपनाती है तथा यह स्वीकार करती है कि वृद्ध व्यक्ति एक समान समूह नहीं हैं। उनके अनुभव और चुनौतियाँ शारीरिक एवं मानसिक क्षमता, विकलांगता, भाषा, आर्थिक स्थिति, निवास स्थान, लैंगिक अभिरुचि तथा अल्पसंख्यक स्थिति जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। आम्बुड्समैन वृद्ध व्यक्तियों की स्थिति के मूल्यांकन और संवर्धन में एक व्यापक भूमिका निभाता है। यह केवल किसी एक कानून या विशिष्ट विधिक प्रावधान के अनुपालन की निगरानी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह देखता है कि विभिन्न कानून, नीतियाँ और प्रशासनिक कार्य व्यवहार में वृद्ध व्यक्तियों के जीवन और अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ओम्बुड्समैन के प्रमुख कर्तव्यों में से एक सरकार के प्राधिकरणों, संगठनों और वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना है। इस प्रकार के सहयोग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि वृद्ध व्यक्तियों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा और संवर्धन हो सके। यह संस्था सक्रिय सहभागिता पर भी बल देती है, जिसका उद्देश्य समस्याओं के उत्पन्न होने से पूर्व ही निर्णय–निर्माण प्रक्रियाओं को प्रभावित करना है।

ओम्बुड्समैन वृद्ध व्यक्तियों की समग्र स्थिति तथा उनके अधिकारों के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होता है। यह विधानों और नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करता है तथा उनके प्रभाव का आकलन करता है। इसके अतिरिक्त, यह सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है तथा वृद्धावस्था से संबंधित मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग ले

[13] धारा 7, वृद्ध व्यक्तियों के लिए लोकपाल अधिनियम, 2025 (फिनलैंड)
[14] धारा 8, वृद्ध व्यक्तियों के लिए लोकपाल अधिनियम, 2025 (फिनलैंड)
[15] वृद्ध व्यक्तियों के ओम्बुड्समैन का कार्यालय (फिनलैंड), ओम्बुड्समैन के कर्तव्य और अधिकार, उपलब्ध https://vanhusasia.fi/en/duties-and-authority-of-the-ombudsman-for-the-older-people (अंतिम अवलोकन 1 मई 2026)।

सकता है। ओम्बुड्समैन शोध अध्ययन स्वयं कर सकता है या करवा सकता है, रिपोर्ट प्रकाशित कर सकता है तथा वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों और आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी का प्रसार कर जागरूकता को बढ़ावा दे सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न एजेंसियों और प्रतिनिधियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है, जो वृद्ध कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। हालाँकि, ओम्बुड्समैन की शक्तियाँ कुछ मामलों में सीमित होती हैं। इसे व्यक्तिगत विवादों का समाधान करने या सीधे व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अन्य प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों को परिवर्तित नहीं कर सकता और न ही शिकायतों के निपटान के लिए एक न्यायिक निकाय के रूप में कार्य कर सकता है। इसका प्रभाव मुख्यतः सलाह देने, सिफारिशें प्रस्तुत करने तथा बेहतर नीतियों और प्रक्रियाओं के लिए पक्षसमर्थन करने की क्षमता में निहित होता है। अतः निष्कर्षतः, वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो प्रत्यक्ष प्रवर्तन या न्यायिक निर्णय के स्थान पर पक्षसमर्थन, निगरानी और नीतिगत प्रभाव के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को प्रोत्साहित करती है।

5. वृद्ध कल्याण को सुदृढ़ करने में भूमिका

वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन संस्था वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा हेतु एक स्वतंत्र एवं सुलभ प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए वृद्ध कल्याण को सुदृढ़ करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समकालीन समाज में, जहाँ पारंपरिक पारिवारिक सहयोग प्रणाली कमजोर होती जा रही है और वृद्धजन धीरे–धीरे संस्थागत देखभाल पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, वहाँ ऐसी विशेष निगरानी संस्था की उपस्थिति अत्यावश्यक हो जाती है। ओम्बुड्समैन न केवल व्यक्तिगत शिकायतों का समाधान करता है, बल्कि वृद्ध देखभाल से संबंधित सेवाओं और नीतियों की समग्र गुणवत्ता में सुधार हेतु सक्रिय रूप से कार्य भी करता है। ओम्बुड्समैन के प्रमुख कार्यों में से एक वृद्ध देखभाल सेवाओं की निगरानी करना है। इसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों प्रकार की संस्थाओंकृजैसे नर्सिंग होम, सहायक निवास सुविधाएँ तथा घर–आधारित देखभाल सेवाएँकृका पर्यवेक्षण शामिल होता है। देखभाल के मानकों का मूल्यांकन, कमियों की पहचान तथा सुधार हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करके ओम्बुड्समैन यह सुनिश्चित करता है कि वृद्ध व्यक्तियों को सुरक्षित, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ प्राप्त हों। सतत निगरानी सेवा प्रदाताओं के बीच जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है और तंत्रगत विफलताओं को रोकने में सहायक होती है।

ओम्बुड्समैन की एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका वृद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध होने वाली उपेक्षा, शोषण और भेदभाव से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। वृद्धजन अक्सर विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिनमें शारीरिक शोषण, भावनात्मक उपेक्षा, आर्थिक शोषण और सामाजिक बहिष्कार शामिल हैं। ओम्बुड्समैन एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जहाँ ऐसी शिकायतें बिना भय या संकोच के दर्ज की जा सकती हैं। निष्पक्ष जाँच और समयबद्ध हस्तक्षेप के माध्यम से यह संस्था शिकायतों का निवारण करने के साथ–साथ भविष्य में होने वाले उल्लंघनों को रोकने में भी सहायक होती है। साथ ही, यह जागरूकता बढ़ाकर और मजबूत सुरक्षा उपायों की वकालत करके एक निवारक भूमिका भी निभाती है। इसके अतिरिक्त, ओम्बुड्समैन वृद्ध व्यक्तियों की गरिमा, स्वायत्तता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। मानव गरिमा का सम्मान मानवाधिकारों का एक मूलभूत

सिद्धांत है, जो वृद्धावस्था के संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह संस्था यह सुनिश्चित करती है कि वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाली नीतियाँ और प्रथाएँ स्वतंत्रता, सहभागिता और आत्मसम्मान के सिद्धांतों के अनुरूप हों। यह वृद्ध व्यक्तियों को उन निर्णय–निर्माण प्रक्रियाओं में शामिल करने को प्रोत्साहित करता है, जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, और उन्हें गरिमा एवं स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने के अधिकार के समर्थन में कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, ओम्बुड्समैन स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनेक वृद्ध व्यक्तियों को शारीरिक सीमाओं, जागरूकता की कमी या प्रशासनिक जटिलताओं के कारण आवश्यक सवाओं तक पहुँच प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ओम्बुड्समैन ऐसे अवरोधों की पहचान करता है और पहुँच तथा दक्षता में सुधार हेतु उपायों की सिफारिश करता है। यह कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचें। अतः निष्कर्षतः, वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन एक समग्र संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो न केवल व्यक्तिगत शिकायतों का समाधान करता है, बल्कि वृद्ध कल्याण के व्यापक ढाँचे को भी सुदृढ़ बनाता है। जवाबदेही सुनिश्चित करने, अधिकारों की रक्षा करने और समावेशी नीतियों को बढ़ावा देने के माध्यम से यह संस्था वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

6. विधिक संरक्षण और अधिकारों का क्रियान्वयन

वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन एक सुसंगठित विधिक ढाँचे के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिनलैंड में ओम्बुड्समैन का कार्य संचालन संवैधानिक सिद्धांतों और वैधानिक प्रावधानों द्वारा समर्थित है, जो मानव गरिमा, समानता और सामाजिक कल्याण की सुरक्षा पर बल देते हैं। यह संस्था फिनलैंड के संविधान के अनुरूप कार्य करती है, विशेष रूप से धारा 6, जो विधि के समक्ष समानता की गारंटी प्रदान करती है, तथा धारा 19, जो सामाजिक सुरक्षा और पर्याप्त सामाजिक एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार को सुनिश्चित करती है। ये प्रावधान वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधिक आधार प्रदान करते हैं। ओम्बुड्समैन का एक प्रमुख कार्य वृद्ध व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। संवैधानिक प्रावधानों के साथ–साथ सामाजिक कल्याण संबंधी विधानों, जैसे कि सोशल वेलफेयर एक्ट (फिनलैंड) तथा वृद्ध जनसंख्या की कार्यात्मक क्षमता के समर्थन एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी अधिनियम, 2012, के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि वृद्ध व्यक्तियों को पर्याप्त देखभाल, गरिमा और भेदभाव से मुक्त जीवन प्राप्त हो। ओम्बुड्समैन यह निगरानी करता है कि ये विधिक अधिकार संबंधित प्राधिकरणों द्वारा प्रभावी रूप से लागू किए जा रहे हैं या नहीं, और उल्लंघन की स्थिति में हस्तक्षेप करता है। शिकायत निवारण तंत्र ओम्बुड्समैन प्रणालो की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यक्ति कुप्रशासन या अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतें फिनलैंड के संसदीय ओम्बुड्समैन जैसे प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें संविधान और संबंधित विधियों के अंतर्गत शिकायतों की जाँच करने का अधिकार प्राप्त है। ओम्बुड्समैन निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, संस्थाओं का निरीक्षण कर सकता है तथा सुधारात्मक उपायों की सिफारिश कर सकता है। यह तंत्र

न्यायालयों की तुलना में अधिक सुलभ और कम औपचारिक विकल्प प्रदान करता है, जो विशेष रूप से वृद्ध व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी है।

इसके अतिरिक्त, ओम्बुड्समैन नीतिगत पक्षसमर्थन और सिफारिशों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। जाँच और प्रणालीगत अवलोकनों के आधार पर यह संस्था सरकार को कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार हेतु सलाह देती है। यह वर्तमान विधानों मं संशोधन की सिफारिश कर सकती है या वृद्ध कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए नए उपायों का सुझाव दे सकती है। यह कार्य फिनलैंड के व्यापक मानवाधिकार ढाँचे तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के वृद्धावस्था संबंधी सिद्धांतों, के अनुरूप है। इसके साथ ही, ओम्बुड्समैन सार्वजनिक प्रशासन की निगरानी करके प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है और अवैध या लापरवाहीपूर्ण कार्यों के लिए अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराता है। यह अपने अधिकार क्षेत्र में विचार, चेतावनी जारी कर सकता है और कुछ मामलों में विधिक कार्यवाही प्रारंभ करने की भी क्षमता रखता है। यद्यपि इसके निर्णय प्रायः अनुशंसात्मक होते हैं, तथापि वे महत्वपूर्ण विधिक और नैतिक प्रभाव रखते हैं, जिससे सार्वजनिक निकायों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित होता है। अतः निष्कर्षतः, फिनलैंड में वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन एक सुदृढ़ विधिक ढाँचे के अंतर्गत कार्य करता है, जिसमें संवैधानिक गारंटी, कल्याणकारी विधायन और संस्थागत निगरानी का समन्वय है। विधिक अधिकार, सुलभता और स्वतंत्रता के संयोजन के माध्यम से यह संस्था वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है और सामाजिक न्याय तथा सुशासन की समग्र प्रणाली को सुदृढ़ बनाती है।

7. तुलनात्मक विश्लेषण (फिनलैंड बनाम भारत)

फिनलैंड और भारत का तुलनात्मक विश्लेषण यह दर्शाता है कि वृद्ध व्यक्तियों के संरक्षण और कल्याण के लिए विकसित किए गए विधिक और संस्थागत तंत्रों में महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है। यद्यपि दोनों देश वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करते हैं, तथापि उनकी संरचना, क्रियान्वयन और प्रभावशीलता के संदर्भ में उनके दृष्टिकोण भिन्न हैं। भारत में वृद्ध व्यक्तियों का संरक्षण मुख्यतः वैधानिक और संवैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007[16] इस क्षेत्र का प्रमुख कानून है, जो संतानों और रिश्तेदारों पर अपने माता–पिता के भरण–पोषण का विधिक दायित्व निर्धारित करता है। यह अधिनियम जिला स्तर पर भरण–पोषण न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है, ताकि भरण–पोषण संबंधी विवादों का शीघ्र निपटान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, जीवन और गरिमा का अधिकार[17] तथा वृद्धावस्था में सार्वजनिक सहायता[18] वृद्ध कल्याण के लिए व्यापक आधार प्रदान करते हैं। तथापि, इन प्रावधानों के बावजूद, अधिकारों के क्रियान्वयन में जागरूकता की कमी, प्रक्रियात्मक विलंब तथा परिवार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने से जुड़ी सामाजिक झिझक जैसी समस्याओं के कारण कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। भारत में न्यायाधिकरणों और विधिक तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होते हुए भी सीमित दायरे में है। भरण–पोषण न्यायाधिकरण वृद्ध व्यक्तियों को

[16] माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007
[17] संविधान के अनुच्छेद 21
[18] संविधान के अनुच्छेद 41

आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत सरल और कम खर्चीला मंच प्रदान करते हैं, किंतु ये संस्थाएँ मुख्यतः वित्तीय सहायता तक ही सीमित रहती हैं और शोषण, उपेक्षा, देखभाल की गुणवत्ता या कल्याणकारी सेवाओं में प्रशासनिक विफलताओं जैसे व्यापक मुद्दों का समुचित समाधान नहीं कर पातीं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेक वृद्ध व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुँच अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसका कारण भौगोलिक और सूचनात्मक बाधाएँ हैं।

इसके विपरीत, फिनलैंड एक अधिक संस्थागत और कल्याण–उन्मुख दृष्टिकोण अपनाता है। वहाँ "वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन" की स्थापना एक विशेषीकृत और स्वतंत्र संस्था के रूप में की गई ह, जो विशेष रूप से वृद्ध अधिकारों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। यह संस्था न केवल व्यक्तिगत शिकायतों का समाधान करती है, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी, नीतिगत सुधारों की वकालत और प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का कार्य भी करती है। भारत के मुख्यतः प्रतिक्रियात्मक विधिक ढाँचे के विपरीत, फिनलैंड का मॉडल अधिक सक्रिय है, जो रोकथाम, निगरानी और निरंतर सुधार पर केंद्रित है। एक महत्वपूर्ण अंतर भारत में वृद्ध व्यक्तियों के लिए विशेष ओम्बुड्समैन संस्था के अभाव में निहित है। यद्यपि भारत में मानवाधिकार आयाग और अन्य सामान्य निगरानी संस्थाएँ विद्यमान हैं, फिर भी ऐसी कोई समर्पित राष्ट्रीय संस्था नहीं है, जो विशेष रूप से वृद्ध व्यक्तियों के मुद्दों पर केंद्रित हो। इससे संस्थागत उपेक्षा, वृद्धाश्रमों में खराब देखभाल की गुणवत्ता तथा प्रशासनिक अक्षमताओं जैसे प्रणालीगत समस्याओं के समाधान में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही, एक केंद्रीकृत और विशेषीकृत संस्था के अभाव में समन्वित नीति–निर्माण और निगरानी भी सीमित रह जाती है।

फिनलैंड के मॉडल से भारत कई महत्वपूर्ण शिक्षाएँ प्राप्त कर सकता है। प्रथम, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना की जानी चाहिए, जो सुलभ और स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करे। द्वितीय, केवल विवाद समाधान पर निर्भर रहने के बजाय रोकथाम और निगरानी तंत्रों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। तृतीय, जागरूकता अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ताकि वृद्ध व्यक्तियों को उनके अधिकारों और उपलब्ध उपायों के बारे में जानकारी मिल सके। अंततः, विधिक, प्रशासनिक और कल्याणकारी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है, जिससे वृद्ध संरक्षण की एक समग्र प्रणाली विकसित की जा सके। निष्कर्षतः, यद्यपि भारत में वृद्ध व्यक्तियों के संरक्षण हेतु एक आधारभूत विधिक ढाँचा उपलब्ध है, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुदृढ़ संस्थागत समर्थन और सक्रिय तंत्रों की आवश्यकता है। फिनलैंड का ओम्बुड्समैन मॉडल यह दर्शाता है कि स्वतंत्र निगरानी और अधिकार–आधारित शासन के माध्यम से वृद्ध कल्याण और विधिक संरक्षण को प्रभावी रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है।

8. चुनौतियाँ और सीमाएँ

यद्यपि वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन संस्था एक प्रगतिशील ढाँचा प्रस्तुत करती है, तथापि यह विभिन्न चुनौतियों और सीमाओं से मुक्त नहीं है। प्रमुख समस्याओं में से एक इसके क्रियान्वयन से संबंधित व्यावहारिक बाधाएँ हैं। ओम्बुड्समैन की प्रभावशीलता पर्याप्त संसाधनों, प्रशासनिक सहयोग तथा विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ समन्वय पर निर्भर करती है। कई मामलों में सीमित कर्मचारी, बजट संबंधी बाधाएँ और प्रक्रियात्मक विलंब समय पर हस्तक्षेप को बाधित करते हैं, जिससे संस्था के समग्र प्रभाव में कमी आ सकती है। एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती वृद्ध व्यक्तियों के बीच जागरूकता का

अभाव है। अनेक वरिष्ठ नागरिक ओम्बुड्समैन की उपस्थिति, कार्यों और इसकी सुलभता के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते। यह कमी विशेष रूप से उन कमजोर वर्गों में अधिक देखी जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या शारीरिक एवं मानसिक सीमाओं से जूझ रहे होते हैं। पर्याप्त जागरूकता और जनसंपर्क अभियानों के अभाव में इस संस्था के लाभ उन लोगों तक नहीं पहुँच पाते, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, ओम्बुड्समैन प्रणाली में कुछ अंतर्निहित संस्थागत सीमाएँ भी हैं। अधिकांश मामलों में ओम्बुड्समैन के निर्णय और सिफारिशें विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं, जिससे उनके क्रियान्वयन की क्षमता सीमित हो सकती है। यद्यपि इस संस्था के पास नैतिक और प्रेरक अधिकार होता है, तथापि वास्तविक अनुपालन अंततः सार्वजनिक प्राधिकरणों की इच्छा पर निर्भर करता है। यह स्थिति कभी–कभी कठोर जवाबदेही सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसके अतिरिक्त, ओम्बुड्समैन की कार्यप्रणाली कुछ हद तक सरकारी सहयोग पर निर्भर करती है। चूँकि यह संस्था प्रशासनिक ढाँचे के भीतर कार्य करती है, इसकी सफलता सार्वजनिक निकायों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। सहयोग की कमी, नौकरशाही प्रतिरोध या राजनीतिक प्रभाव आदि समस्याएँ इस संस्था की स्वतंत्रता और कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। इस प्रकार, यद्यपि ओम्बुड्समैन संस्था वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण तंत्र है, तथापि इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

9. सुझाव एवं नीतिगत सिफारिशं

वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन की प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु अनेक नीतिगत उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले, संस्थागत स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यह पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करके, स्पष्ट वैधानिक आधार प्रदान करके तथा अनावश्यक राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप से संरक्षण देकर प्राप्त किया जा सकता है। एक सशक्त और स्वतंत्र संस्था अपने कार्यों का निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में अधिक सक्षम होती है। दूसरे, वृद्ध व्यक्तियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। सरकारों तथा नागरिक समाज संगठनों को जागरूकता अभियान, विधिक साक्षरता कार्यक्रम तथा जनसंपर्क पहल संचालित करनी चाहिए, ताकि वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकारों और उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सामुदायिक केंद्रों और स्थानीय निकायों का उपयोग करके इस प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। तीसरे, भारत जैसे देशों में इसी प्रकार के ओम्बुड्समैन मॉडल को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। यद्यपि भारत में माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत विधिक संरक्षण उपलब्ध है, फिर भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना एक अधिक केंद्रित और सुलभ संस्थागत तंत्र प्रदान करेगी। इससे न केवल भरण–पोषण से संबंधित मुद्दों का समाधान होगा, बल्कि शोषण, उपेक्षा और देखभाल की गुणवत्ता जैसे व्यापक प्रश्नों का भी प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सकेगा। अंततः, वर्तमान विधिक ढाँचों के साथ समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। ओम्बुड्समैन संस्था को न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, मानवाधिकार निकायों तथा कल्याणकारी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, ताकि वृद्ध संरक्षण की एक समग्र प्रणाली विकसित की जा सके। ऐसा समन्वय कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन, सेवा वितरण में सुधार तथा वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करेगा।

10. निष्कर्ष

यह अध्ययन दर्शाता है कि फिनलैंड में "वृद्ध व्यक्तियों के लिए ओम्बुड्समैन" एक प्रगतिशील और प्रभावी संस्थागत तंत्र है, जो वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पारंपरिक विधिक उपायों से आगे बढ़कर सार्वजनिक प्रशासन की सुलभ, स्वतंत्र और सक्रिय निगरानी प्रदान करता है। शिकायत निवारण, निगरानी और नीतिगत पक्षसमर्थन के माध्यम से यह संस्था वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, स्वायत्तता और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसी संस्थागत व्यवस्थाओं का महत्व विशेष रूप स उस संदर्भ में और बढ़ जाता है, जहाँ वैश्विक स्तर पर वृद्ध जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और पारंपरिक पारिवारिक सहयोग प्रणाली कमजोर हो रही है। यद्यपि विधिक प्रावधान आवश्यक हैं, परंतु उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सशक्त और समर्पित संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जो कानून और व्यवहार के बीच की दूरी को कम कर सकें। निष्कर्षतः, वृद्ध कल्याण के लिए एक संतुलित और समेकित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें विधिक सुरक्षा उपायों के साथ–साथ संस्थागत समर्थन का समावेश हो। भारत जैसे देश फिनलैंड के इस मॉडल से महत्वपूर्ण सीख प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि समान संस्थाओं की स्थापना करना और वर्तमान ढाँचों को सुदृढ़ बनाना। भविष्य की दिशा ऐसे समावेशी, उत्तरदायी और अधिकार–आधारित तंत्रों के निर्माण में निहित है, जो समकालीन समाज में वृद्ध व्यक्तियों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित कर सकें।